

छत्तीसगढ़ शासन
तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक-एफ 5-84/2014/जन.नि./42/

नया रायपुर, दिनांक /11/2014

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़
समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
समस्त संभाग आयुक्त, छत्तीसगढ़
समस्त जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़

विषय : मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन

राज्य शासन एतद्वारा मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण लागत के भुगतान हेतु पूर्व में इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-27/2011/जन.नि./42/301 दिनांक 2.5.2012 द्वारा जारी योजना की गाईडलाईन्स में "कौशल प्रशिक्षण हेतु वित्तीय बजट" शीर्ष अंतर्गत उल्लेखित उपबंधों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है, अर्थात् :-

"(वर्तमान में प्रशिक्षण प्रदान करने वाली एजेंसी (व्ही.टी.पी.) को प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति 15 रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी/प्रति घंटे कोर्स की अवधि के अनुसार तथा परीक्षा व्यय अधिकतम 800 रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से) यह मापदंड विभागीय बजट की उपलब्धता के अनुरूप परिवर्तित किये जा सकेंगे।"

के स्थान पर

"भारत सरकार, रोजगार एवं श्रम मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना के अंतर्गत समय-समय पर लागू मदों एवं दरों पर ही मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत व्यय किया जायेगा।"

पढ़ा जाए।

2. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग की नस्ती क्रमांक एफ 2014-42-00063/ब-3/चार दिनांक 1.10.2014 द्वारा इस पर सहमति प्रदान की गई है।

(याकुब खैरुल्लाह)

उप सचिव

दूरभाष-0771-2510015

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 5-84/2014/जन.नि./42


नया रायपुर, दिनांक 10/11/2014

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
2. आयुक्त-सह-संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण, महिला पॉलीटेक्निक परिसर, रायपुर
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य परियोजना लाईवलीहुड कालेज सोसायटी, महिला पॉलीटेक्निक परिसर, रायपुर
5. मास्टर फाईल, जनशक्ति नियोजन विभाग

- सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित


(याकुब खरस)
उप सचिव

दूरभाष-0771-2510015